एक नजर में

कर्मचारियों के वेतनमान मामले में मुख्य सचिव तलब

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामले में गंभीरता दर्शाई है. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन को 14 मई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. दरअसल हाईकोर्ट कर्मचारी किशन पिल्लई और 108 अन्य कर्मचारियों ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी. जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को आदेश पारित करते हुए कहा था यह मामला 27 जून 2015 से सरकार के समक्ष विचाराधीन है. अब चार सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा किया जाए. आदेश का पालन नहीं होने पर 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई. गत 26 मार्च को हाईकोर्ट ने आदेश के पालन में लगातार हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी.

जिले में हजारों टन गेहूं नहीं पहुंचा गोदामों में

नवभारत न्यूज

खरगोन, निप्र। सोसायटी स्तर पर खरीदी केंद्र पर किसानों द्वारा खरीदा गया गेहूं रखा हुआ है, जिसके धूप और बारिश के कारण लगातार खराब होने खतरा मंडरा रहा है। अफसर परिवहन में तेजी लाने के बजाय ढील दे रहे हैं। जिससे जहां सरकार को करोडों रुपये का नुकसान हो सकता है। समिति प्रबंधक भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं खराब अनाज की वजह से उन पर कार्रवाई न हो जाए या कसानों का भुगतान रुके। परिवहन नहीं होने से खरीदी की चाल भी धीमी है।

खरीदी केंद्र पर सोसायटी प्रबंधक लगातार गेहूं का परिवहन करने ट्रांसपोर्टर मांग कर रहे बावजूद इसके परिवहन धीमी गति से हो रहा है। खरीदे गए गेहूं की सुरक्षा के किसी प्रकार के इंतजाम नहीं है जबकि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज की बोरियां खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। ऐसे में प्रतिदिन होने वाली बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो रहा है। खुले में संचालित इन उपार्जन केंद्रों से बारिश के कारण काफी मुश्किलें आ रही हैं।करीब करोड़ों रुपए का गेहूं हजारो टन का नहीं हुआ परिवहन इसका मुख्य कारण है परिवहन ट्रांसपोर्टर की बड़ी लापरवाही है।

मधुर खरद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्टेट सिविल सप्लाई खरगोन:- सोसायटी स्तर पर उपार्जन केंद्रों में किसानों से यदि गेहूं की खरीदी हो चुकी है तो करीब 24 घंटे से 72 घंटे भीतर परिवहन कर्ता द्वारा सोसायटी स्तर पर उपार्जन केंद्रों से गेहूं उठाना चाहिए।

अमिताभ शुक्ला खाद्य फूड अधिकारी बड़वाह:- सोसायटी स्तर पर उपार्जन केंद्रों में गेहूं की खरीदी भी हो रही है।जिसके कारण कुछ स्टॉक भी पड़ा हुआ है। वाहन सभी केंद्रों पर भेजे गए है लेबर की परेशानी के कारण वाहन कुछ सोसायटी केंद्रों से माल नहीं भर पा रहे है जल्द ही जितने भी केंद्रों पर शेष गेहूं को वाहनों से परिवहन कर दिया जाएगा।

अब तक खरीदी और परिवहन ट्रांसपोर्टर की लापरवाही:- शासन ने 01अप्रैलसे किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू किया था। जब से खरीदी शुरू हुई है तब से लेकर 07 मई तक जिले में वेयर हाउस एवं उपार्जन केंद्रों की करीब 40 हज़ार टन से अधिक की खरीदी हो चुकी है।वही उपार्जन केंद्र बाग़ोद बलवाडा करही बड़वाह कानापुर बडुद भूलगांव पिपलगोन सहित जिले के अन्य केंद्रों में करीब हजारों टन गेहूं केंद्रों पर उपज पड़ी हुई है, जिसका परिवहन बहुत जरूरी है।

दिन में वजन की जा रही उपज...

जानकारी के मुताबिक, उपार्जन केंद्रों पर खरीदी के मान से परिवहन नहीं हो रहा जबकि परिवहन के लिए ठेकेदार के द्वारा पर्याप्त वाहन की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर अब बड़े किसानों को ज्यादा मात्रा में एनआईसी से संदेश आ रहे हैं। किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। मैंने स्वंय कई केंद्रों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है, केंद्रों पर कई कमियां है और किसानों को गेहूं बेचने के लिए कई दिन तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। सरकार को नींद से जागना चाहिए और किसानों के हित में तोल कांटे बढ़ाने, माल परिवहन करने पर ध्यान देना चाहिए। किसान इस सरकार को माफ नहीं करने वाले हैं। 84 प्रतिशत उपार्जन केंद्रों से खरीदी एवं 16 प्रतिशत शेष गेहूं उठाना बाकी है। अभी तक जिले की संपूर्ण सोसायटी स्तर पर उपार्जन केंद्रों से करीब 84 प्रतिशत उपार्जन केंद्रों से गेहूं उठा लिया है। वही 16 प्रतिशत शेष गेहूं उपार्जन केंद्रों से शेष कार्य प्रगति शील है। कुछ सोसायटियों पर लेबर की कमियों के कारण भी माल नही उठ पाया है। जिले की संपूर्ण सोसायटी स्तर पर उपार्जन केंद्रों में रखा गेहूं को उठाने के लिए परिवहन कर्ता को पुन: निर्देश दिए गए है।

नईदिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पुष्प-गुच्छ भेंट कर सौजन्य मुलाकात की और समसामयिक विषयों पर चर्चा की.

लोडिंग ट्रक में लगी आग ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

ग्वालियर. एक लोडिंग ट्रक में सड़क पर चलते समय आग लग गई. डबरा शहर के ठाकुर बाबा मंदिर रोड स्थित बर्फ फैक्ट्री के पास यह आग लगी. केबिन में धुआं भरने के बाद ट्रक ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई. ट्रक गेहूं से लोडिंग था.सूचना पर फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया.

हाईकोर्ट बार के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए अधिवक्ता अमित जैन

जबलपुर, 8 मई. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता डीके जैन का इस्तीफा कार्यकारिणी की बैठक में विचार के बाद मंजूर कर लिया गया।

इसी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता अमित जैन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अब वे अध्यक्ष पद के समस्त कार्य संपादित करेंगे। सचिव परितोष त्रिवेदी व संयुक्त सचिव योगेश सोनी ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में 14 में से 10 सदस्य उपस्थित थे.

निवेदिता मप्र बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष

ग्वालियर, 8 मई. मध्य प्रदेश सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुहर के बाद हुई है जिसका पत्र जारी कर दिया गया है। निवेदिता ने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से सूक्ष्म जीव विज्ञान में पी-एचडी एवं लॉ किया है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य में बालकों के लिए सर्वकल्याणकरी कार्य करने में सफल हो सकूं। इसके साथ ही मैं उन सभी वरिष्ठों और शुभचिंतकों के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बहुत आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हर समय में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया है. उल्लेखनीय है कि मूलत: ग्वालियर निवासी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉ मयंक चतुर्वेदी की पत्नी डॉ. निवेदिता शर्मा पहले से ही आयोग की सदस्य थीं और विभिन्न जिलों में बाल अधिकारों से जुड़े मामलों की जांच कर चुकी हैं.

> आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह और संबंधित अपराधों पर निगरानी रखता है। वर्ष 2022 में पूर्व में मप्र बाल आयोग की सदस्य बनाए जाने के बाद डॉ. निवेदिता शर्मा ने प्रदेश भर में सक्रिय रहते हुए बालकों के हित में अनेक कार्य किए, वहीं जहां बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, उन मामलों को उजागर करते हुए सरकार से उन्हें ठीक कराने की दिशा में कार्य किया था।

नौगांव पुलिस चौकी में आरक्षक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

नौगांव (छतरपुर), 8 मई. छतरपुर जिले के नौगांव थाने में पदस्थ आरक्षक तरुण गंधर्व ने बस स्टैंड स्थित पुरानी चौकी के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी मिलते ही नवागत पुलिस अधीक्षक (एसपी) रजत सकलेचा, एसडीओपी अमित मिश्रा, थाना प्रभारी संजय राय सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरक्षक तरुण ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह फिलहाल एक पहेली बना हुआ है. पुलिस प्रशासन मामले की हर पहलू से जांच कर रहा है. क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक तनाव था, कार्य का दबाव था या कोई अन्य व्यक्तिगत कारण, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

छात्रा से दोस्ती कर बनाए वीडियो, 1 लाख नहीं देने पर वायरल करने की दी धमकी

ग्वालियर, 8 मई. तानसेन नगर निवासी एक छात्रा ने सायबर क्राइम और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है. एक मनचले ने पहले छात्रा से दोस्ती कर फिर प्यार के जाल में फंसाकर उसके निजी वीडियो शूट कर लिये. जब छात्रा ने बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

बॉयफ्रेंड ने छात्रा से एक लाख रूपये की डिमांग की और मांग पूरी नहीं होने पर वीडियो उसके रिश्तेदरों को वायरल कर दिये. जब छात्रा के अंकल ने वीडियो देखे तो उसके पिता का बताया. इसके बाद छात्रा ने आपबीती सुनाई. छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आज शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई. छात्रा के अनुसार आरोपी उसे अक्टूबर 2025 से लगातार परेशान कर रहा था. लगभग 3 दिन पहले उसने रिश्तेदारों को वीडियो भेजे थे.

प्रायवेट यूनिवर्सिटी के सेमिनार में हुई थी दोस्ती

18 वर्षीय पीड़िता 11वीं की छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात वर्ष 2024 में महाराजपुरा स्थित एक प्रायवेट यूनीवर्सिटी में आयोजित सेमिनार के दौरान हरमन चावला से हुई थी. दोस्ती के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और हरमन ने उसे स्नैपचेट पर जोड़ लिया. पहले सामान्य बातचीत होती थी फिर उसने अपने प्यार का इजहार किया. हरमन ने छात्रा को प्यार के झांसे में लिया और धोखे से उसके न्यूड फोटो और वीडियो बना लिए. वीडियो हाथ लगते ही आरोपी के तेवर बदल गए. उसने छात्रा को धमकाना शुरू किया और वीडियो डिलीट करने के बदले एक लाख रुपए मांगे. छात्रा ने जब रुपए देने से इनकार किया और आरोपी से बातचीत बंद कर दी, तो वह हैवानियत पर उतारू हो गया. आरोपी ने छात्रा के निजी वीडियो उसके परिचितों और नाते-रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर भेज दिए. इस शर्मनाक हरकत का खुलासा तब हुआ जब छात्रा के पिता के एक दोस्त ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी बेटी के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई.

बरगी बांध क्रूज हादसा हाईकोर्ट में दूसरी जनहित याचिका भी दायर

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में बरगी बांध क्रूज हादसे को लेकर शुक्रवार को एक और जनहित याचिका दायर की गई। दरअसल, पूर्व में जिला अदालत ने स्वत संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद राजधानी भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुमार राठी ने हाईकोर्ट में इस हादसे को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। अब जबलपुर की सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा तिवारी ने याचिका दायर की है। इस मामले में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन व मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मामले में दोषी बताते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन करने की मांग की गई है. याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी.

शादी में चली गोलियां, दूल्हा-दुल्हन बने शूटर कपल

ग्वालियर, 8 मई.भितरवार की ब्रज वाटिका में खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई. चंबल संभाग में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. ग्वालियर जिले के भितरवार से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां शादी के मंच को ही फायरिंग रेंज बना दिया गया.

वायरल वीडियो में दूल्हा और दुल्हन दोनों हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर सैकड़ों लोगों के बीच खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई. मामला भितरवार की ब्रज वाटिका का है, जहां आयोजित शादी समारोह में ये खतरनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई.

कानून का गलत उपयोग करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

जबलपुर,08 मई. मशहूर शायर शोएब कियानी की मशहूर उर्दू नज़्म 'बेहया' का एक हिस्सा सोशल मीडिया में वायरल करने पर पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

हाईकोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नज्म का हिस्सा सोशल मीडिया में शेयर किया है. नज़्म में शब्दों में उसने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की है. कड़े शब्दों में राय व आलोचना करना मौलिक अधिकार के तहत है सुरक्षा प्रदान करता है. एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी किये है. बैतूल निवासी फैजान अंसारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह पेशे से शिक्षक है और रिकॉर्ड बेदाग है और उनके खिलाफ कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नही है. उन्होने 22 जुलाई को अपने सोशल मीडिया में नज्म 'बेहया' का एक हिस्सा अपलोड किया था. याचिकाकर्ता की तरफ से कोई कमेंट, बदलाव या मैसेज नहीं किया गया था. चिचोली पुलिस ने याचिकाकर्ता को शाम को फोन कर बुलाया और मोबाइल जब्त कर लिया. उसके खिलाफ शिकायत की गयी कि वीडियो का कंटेंट आपत्तिजनक था, कथित तौर पर महिलाओं से नफरत करने वाला था. पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 353(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल और संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों का गलत उल्लंघन है.

मंडी टैक्स वसूली में नीमच मंडी अव्वल

नीमच. मंडी बोर्ड भोपाल के मार्गदर्शन में उज्जैन संभाग इकाई द्वारा नीमच मंडी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. उपलब्धि-मंडी टैक्स वसूली में नीमच मंडी ने प्रदेश स्तर पर द्वितीय और संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीमच मंडी के कर्मचारियों, हम्मालों, तुलावटी, व्यापारियों और किसान प्रतिनिधियों को शील्ड व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया. फोटो में अधिकारी ट्रॉफी देते हुए दिख रहे हैं. संभागीय सलाहकार अतुल पड़ियां ने कहा कि सभी वर्गों के तालमेल से ही यह सफलता मिली है.

अवलोकन | महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनेगा

शुक्ल ने कार्यों को समय सीमा में कराने के दिए निर्देश

भोपाल 8 मई. लक्ष्मणबाग परिसर से लगी भूमि में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्माण स्थल पहुंचकर कार्य का अवलोकन किया तथा आवश्यक निर्देश दिए.

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा 45.79 करोड़ रूपये की लागत से बनाए जा रहे विश्वविद्यालय भवन के प्रशासनिक ब्लाक में सेमिनार हाल के साथ ही आफिस, एकाउण्ट सेक्शन, प्लेसमेंट सेक्शन तथा रिकार्ड रूम का निर्माण कराया जाएगा. इसी प्रकार अकादमिक ब्लाक में 12 अध्ययन कक्ष, 4 प्रोफेसर कक्ष तथा एक कम्प्यूटर लैब का निर्माण किया जाएगा. साथ ही 50 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया है.

> विश्वविद्यालय में बालक छात्रावास का निर्माण भी कराया जाएगा. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निरीक्षण के दौरान कार्ययोजना का निरीक्षण करते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ निश्चित समय सीमा में कार्यों को कराने के निर्देश दिए. इस अवसर पर विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पंचूलाल प्रजापति, उप मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि राजेश पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

कलेक्टर ने 12 कर्मचारियों को थमाए कारण बताओ नोटिस

शिवपुरी, 8मई. जिले में जनगणना 2027 के कार्य को लेकर प्रशासन सतर्क मोड में दिखाई दे रहा है. राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अर्पित वर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए 12 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक गलियारों में बेचैनी फेल गई है. तहसीलदार और नगर पालिका अधिकारियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संबंधित कर्मचारियों ने जनगणना सामग्री लेने से इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं, सूचना दिए जाने के बावजूद कई कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए.

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कार्पोरेट आफिस: 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लॉक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि. आफिस: कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु

डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील विपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है:-

क्र.	ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया
1.	**लैन: 601638011423042** **1. जितेंद्र सिसोदिया** **2. धर्मिला सिसोदिया** **पता:** जी आर ओसियन पर्ल बेतमा मध्य प्रदेश 453001	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें शामिल है: प्लॉट संख्या 18 ओसियन पर्ल रेजिडेंसी बेतमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मकान. इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में- कॉलोनी रोड, पश्चिम में- अन्य भूमि, उत्तर में- प्लॉट/मकान संख्या 19, दक्षिण में - प्लॉट/मकान संख्या 18 का शेष भाग.	**13.04.2026** **रु. 11,66,594.83** **(रु. ग्यारह लाख छियासठ हजार पांच सौ चौरानवे और पैसा तिरासी मात्र) दिनांक 09.04.2026 को एनपीए दिनांक: 07-04-2026**
2.	**लैन: 6149395115118944** **1. सादिक शेख** **2. शबनम शेख** **3. मकतूम शेख** **पता:** वार्ड संख्या 02, कसरावद जय स्तंभ चौराहा, कसरावद, खरगौन मध्य प्रदेश 451228	संपत्ति का वह भाग जिसमें मकान शामिल है ग्राम कसरावद नगर परिषद, कसरावद में स्थित वार्ड संख्या 02, पंजीकृत मकान संख्या 2/22, ग्राम कसरावद तहसील कसरावद, जिला खरगौन, मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 471.50 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- ग्राहक का मकान, पश्चिम- इंदौर-खरगौन रोड, उत्तर- नगर पालिका की दुकान, दक्षिण- राशिद पुत्र मुस्तफा शेख की दुकान.	**13.04.2026** **रु. 9,48,287.44 (रु. नौ लाख अड़तालीस हजार दो सौ सतासी और पैसा चवालीस मात्र) दिनांक 09.04.2026** **एनपीए दिनांक: 07-04-2026**
3.	**लैन: 601607210213847** **1. अभिषेक चौहान** **2. संगीत चौहान** **3. तीना चौहान** **पता:** 2025 डी सेक्टर सुदामा नगर इंदौर, मध्य प्रदेश 452011	वह संपत्ति जो मकान नंबर 628, पश्चिमी भाग, शिव सिटी, गांव निहालपुर मंडी, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 756 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- शेष प्लॉट, पश्चिम- प्लॉट नंबर 667, उत्तर- प्लॉट नंबर 629, दक्षिण- कॉलोनी रोड.	**22.04.2026** **रु. 21,00,808.31** **(रु. इक्कीस लाख आठ सौ आठ और पैसा इकतीस मात्र) दिनांक 09.04.2026 को** **एनपीए दिनांक: 07-04-2026**
4.	**लैन: 601739212278818 और 601739512320936** **1. भगवान सिंह तेवा** **2. श्यामू बाई** **पता:** मकान संख्या 98, ग्राम हनोटी, डाकघर झोकर, शाजापुर, मध्य प्रदेश 465106	संपत्ति का वह भाग जिसमें शामिल है: मकान/प्लॉट संख्या 18, ग्राम हनोटी, तहसील और जिला शाजापुर मध्य प्रदेश, पीएच नंबर 63 (दिशा-निर्देश के अनुसार 163), जिसका क्षेत्रफल 1692 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- ओंकार सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह की संपत्ति, पश्चिम में- सामान्य मार्ग, उत्तर में- सामान्य मार्ग, दक्षिण में- नाथू सिंह का मकान.	**13-04-2026** **रु. 15,56,018.18** **(रु. पन्द्रह लाख छप्पन हजार अट्ठारह और पैसा अट्ठारह मात्र) दिनांक 09.04.2026 को** **एनपीए दिनांक: 07-04-2026**
5.	**लैन: 601607210152397, 601607210182699, 601607210213598 और 601607210325755** **1. साधना राजपूत, 2. शशि राजपूत** **3. राजपूत प्रिंट एंड पैकेजिंग** **4. फॉर्च्यून प्रिंट एंड पैकेजिंग** **पता:** मकान संख्या सी-22, विद्या पैलेस कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश 452005	श्री विद्या पैलेस के पश्चिमी भाग में स्थित मकान/प्लॉट संख्या सी-22, पेकी वेस्ट पार्ट, कॉलोनी, छोटा बंगारदा, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा. इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- प्लॉट संख्या सी-22 का शेष भाग, पश्चिम में- प्लॉट संख्या सी-23, उत्तर में- कॉलोनी रोड, दक्षिण में- प्लॉट संख्या सी-19.	**23-04-2026** **रु. 46,01,761.58/-** **(रु. छियालीस लाख एक हजार सात सौ इकसठ और पैसा अट्ठावन मात्र) दिनांक 09.04.2026 को** **एनपीए दिनांक: 07-04-2026**

उधारकर्ताओं को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और यहां ऊपर इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएचएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति. ऐसी स्थिति में उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समय के साथ, एसएमएचएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएचएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएचएफसी को अलग कानूनी पहल करने का भी अधिकार है. यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही एसएमएचएफसी को. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, जिसके तहत उधारकर्ता को निपटान या लेन-देन से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है. किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के. डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें.

स्थान- इन्दौर, खरगौन, शाजापुर, मध्यप्रदेश **एसडी/-**
दिनांक- 13-4-2026/22-4-2026/23-4-2026 **प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**